न्यायालयः—स्वाति निवेश जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

आप. प्रकरण क्रमांक—711 / 2019
सी.एन.आर. नंबर—एमपी.05060031592019
फाईलिंग नंबर—आरसीटी—2822 / 2019
संस्थित दिनांक—02.11.2019

राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र पथरौटा
जिला होशंगाबाद (म.प्र.) ———————अभियोजन

/ / विरूद्ध / /

मालतीबाई पत्नी महेश चौधरी, उम्र—33 वर्ष,
निवासी—चौधरी मोहल्ला पथरौटा,
जिला होशंगाबाद म.प्र. ———————— अभियुक्त

आरक्षी केन्द्र पथरौटा, के अपराध क.—230 / 2019, धारा— 294, 323, 506, 34 भादस ''म0प्र0 राज्य विरूद्ध मालतीबाई'' से उद्भूत।

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक—04.12.2019 को घोषित किया गया)

01— अभियुक्त के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा—294 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप इस आशय के है कि, उसने दिनांक—19.10.2019 को शाम करीब 06:00 बजे या उसके लगभग अभियुक्त मालतीबाई के घर के सामने चौधरी मोहल्ला पथरौटा, पुलिस थाना पथरौटा जिला होशंगाबाद लोकस्थान पर प्रार्थी कमलाबाई, शिवाना एवं सलोनी को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया।

02— प्रकरण में विद्यमान तथ्य यह है कि प्रार्थी कमलाबाई द्वारा स्वयं एवं आहत शिवानी की ओर से उसकी मॉ कमलाबाई के द्वारा अभियुक्त से अपराध का शमन किये जाने की अनुमति चाही गयी थी जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त को भा0दं0सं0 की धारा—323 एवं 506 भाग—02 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। शेष धारा—294 भा0दं0सं0 में अनुमति आवेदन निरस्त किया गया।

03— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—19.10.2019 को शाम करीब 06:00 बजे अभियुक्त मालतीबाई प्रार्थी कमलाबाई के घर के सामने खड़ी होकर पुरानी रंजिश को लेकर गाली गुप्तार कर बोल रही थी कि उसके लड़के दीपक को प्रार्थी की लड़की शिवानी के केस में झूठा फंसाया है, उसमें बरी करा दे। इस बात को लेकर अभियुक्त मालतीबाई एवं उसका लड़का चेतन दोनों प्रार्थी कमलाबाई, शिवानी एवं सलोनी को मॉ—बहन की गंदी—गंदी गालियां देकर अभियुक्त मालतीबाई ने प्रार्थी को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। अभियुक्त जाते—जाते प्रार्थी कमलाबाई एवं शिवानी को जान से मारने की धमकी देकर चली गई। उक्त घटना के संबंध में प्रार्थी कमलाबाई ने पुलिस थाना इटारसी में प्रदर्श पी—01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी—02 बनाया गया तथा आहत कमलाबाई का मेडिकल परीक्षण कर मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। विवेचना पूर्ण हो जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— अभियुक्त को आरोपित आरोप लगाये जाने पर उन्होंने आरोप अस्वीकार कर विचारण चाहा। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुये अभियुक्त का

धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण का औचित्य नही होने से अभियुक्त परीक्षण नही किया गया। अभियुक्त को बचाव में प्रवेश कराये जाने पर उन्होने बचाव साक्ष्य ना देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण के लिये निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है:—

1— क्या अभियुक्त ने दिनांक—19.10.2019 को शाम करीब 06:00 बजे या उसके लगभग अभियुक्त मालतीबाई के घर के सामने चौधरी मोहल्ला पथरौटा, पुलिस थाना पथरौटा जिला होशंगाबाद लोकस्थान पर प्रार्थी कमलाबाई, शिवाना एवं सलोनी को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया?

2— निष्कर्ष एवं अंतिम आदेश?

:: सकारण निष्कर्ष ::

विचारणीय प्रश्न कमांक—01 का निराकरण —

06— कमलाबाई (अ.सा.—01) ने बताया कि 1—2 माह पहले उसका किसी बात को लेकर अभियुक्त से मौखिक विवाद हो गया था। आवेश में आकर उसने थाना पथरौटा में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—01 की लेखबद्ध कराई थी। पुलिस ने उसकी निशांदेही से घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी—02 का बनाया था। ऐसा ही कहना शिवानी (अ.सा.—02) एवं सलोनी (अ.सा.—03) का भी है। प्रतिपरीक्षण में साक्षीगण ने इस बात स्पष्ट इंकार किया कि अभियुक्त ने घटना वाले दिन उन्हें मॉ—बहन की अश्लील गालियां दी थी, जो उन्हें सुनने मे बुरी लगी थी। साक्षीगण ने अपने कथनों को स्पष्ट करते हुये बताया कि अभियुक्त के साथ बातचीत हुई थी, गाली—गलौच अथवा मारपीट नहीं हुई थी। साक्षी कमलाबाई (अ.सा.—01) ने इस प्रकार की जानकारी प्रदर्श पी—01 की रिपोर्ट तथा प्रदर्श पी—03, शिवानी (अ.सा.—02) ने प्रदर्श पी—04 एवं सलोनी (अ.सा.—03) ने प्रदर्श पी—05 के कथनों में पुलिस को देने से स्पष्ट इंकार किया। प्रतिपरीक्षण उपरांत साक्षी के कथनो से अभियोजन कहानी का किंचित मात्र भी समर्थन नही होता है।

07— अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से यह निष्कर्ष है कि अभियोजन उसका मामला अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक—19.10.2019 को शाम करीब 06:00 बजे या उसके लगभग अभियुक्त मालतीबाई के घर के सामने चौधरी मोहल्ला पथरौटा, पुलिस थाना पथरौटा जिला होशंगाबाद लोकस्थान पर प्रार्थी कमलाबाई, शिवानी एवं सलोनी को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया।

विचारणीय प्रश्न कमांक—02 का निराकरण:—

08— अभियुक्त को भा.द.स. की धारा—294 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप से ''दोषमुक्त'' कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।

09— अभियुक्त के बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित व मुद्रांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(स्वाति निवेश जायसवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

(स्वाति निवेश जायसवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)